रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935
No. 1200] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

का.आ. 1354(अ).—यत; केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1291 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2003 द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5ए के 0.000 कि.मी.से 77.000 कि.मी तक (चांडीखोल-पारादीप सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा था;

और यत:, प्राधिकरण ने निर्माण, प्रचालन और हस्तारण आधार पर रा रा-5क पर पारादीप पत्तन संयोजन मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए 24 फरवरी, 2004 को मैसर्स पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (पी पी आर सी एल) द्वारका, नई दिल्ली के साथ करार किया था।

और यत:, प्राधिकरण ने भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1179 (अ) दिनांक 8 मई, 2009 द्वारा शुल्क का संग्रहण और प्रतिधारण के लिए मैसर्स पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (पी पी आर सी एल) द्वारका, नई दिल्ली को प्राधिकृत किया था।

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाये हैं।

और यत:, प्राधिकरण ने ओडिशा में रा रा-5ए की पारादीप पत्तन संयोजन की शुल्क अधिसूचना में संशोधन करके उसे भाराराप्रा की एस पी वी से सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना में बदलने और उसमें समय-समय पर यथा-संशोधित सा.का.नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008 के प्रावधानों को समाविष्ट करने का निर्णय लिया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त नियम " कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1179 (अ), दिनांक 8 मई, 2009 का

अधिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों को जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी है या करने से लोप करा दी गयी है, ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 5ए के 0.000 किमी से 76.588 कि.मी (चंडीखोल-पारादीप सेक्शन) तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 76.588 कि.मी. के लिए सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.उ.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां:

1. नीचे उद्गृहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
कि.मी/चैनेज 3.588 (श्रीरामपुर गांव के पास जाजपुर जिला ओडिशा में)	76.588

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधित एवं प्रकाशित किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 586.92 करोड़ रूपये है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को 40% घटा दिया जाएगा। 31-3-2013 तक की गई उगाही से उपयोगकर्ताओं से 66.30 करोड़ रूपए वसूल किए गए।

10. शुल्क की दरों में वृद्धि किसी भी हालत में इससे ठीक पहले के वर्ष में लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

[सं. भारारााप्रा/13013/422/12-13/सीओ/जीसी-पारादीप-पतन संयोजन]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1354(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1291 (E), dated the 11th November, 2003, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 77.000 (Chandikole – Paradip Section) of National Highway No. 5A in the State of Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Authority entered into an agreement with M/s Paradip Port Road Company Limited (PPRCL), Dwarka, New Delhi on 24th February, 2004 for the Construction, Maintenance and Operation of Paradip Port Connectivity Road on NH-5A on Build, Operate and Transfer basis.

And whereas, the Authority authorized M/s Paradip Port Road Company Limited (PPRCL), Dwarka, New Delhi for collecting and retaining the fee vide Government of India Notification bearing S.O. No. 1179 (E) dated 8th May, 2009.

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, for collection of fee for use of sections of National Highways, Permanent Bridges, bypasses and tunnels.

And whereas, the Authority has decided to amend the fee notification of Paradip Port Connectivity Project of NH-5A in Odisha from SPV of NHAI to 'Public Funded Project' incorporating the provisions of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008 and amended from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1179(E), dated the 8th May, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 76.588 kilometer (hereinafter referred to as 'base rate") for use of the four and more lane section on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 0.000 to kilometer 76.588 (Chandikole – Paradip Section) on the National Highway No. 5A in the State of Odisha and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-2008 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi	3.45

Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch 3.588 (near Village Srirampur in Jajpur District, Odisha)	76.588

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and published and will further be revised annually and published in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 586.92 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A Total of Rs. 66.30 crore has been recovered from user fee realized till 31.03.2013.

10. The increase in the actual amount of user fee to be charged from the mechanical vehicles shall in no case be more than twenty-five percent of the fee applicable in the immediately preceding year.

[No. NHAI/13013/422/CO/12-13/GC-Paradip-Port Connectivity]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.